हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

25 जून, 1992

सं० सा० का० नि० 36/संवि०/अनु० 309 तथा 318/92 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 तथा 318 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा लिपिकों से सहायकों के पद पर पदोन्नति विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

संक्षिप्त नाम :

1. ये नियम हरियाणा राज्य सहायक ग्रेड परीक्षा नियम, 1992 कहे जा सकते हैं ।

परिभाषाएं ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, ऐसा प्राधिकारी जिसके पास सहायक के पद पर नियुक्त करने की शक्तियां हों;

(ख) ''सहायक'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य के अन्तर्गत सिविल पद या सिविल सेवा में पद जिसको सहायक के पद की संज्ञा दी गई है और इसमें सभी ऐसे पद शामिल होंगे जोकि लिपिक के पद से उच्चतर है, या समकक्ष है चाहे वे किसी भी पदनाम से पुकारे जाते हों तथा जिनका वेतनमान और जिम्मेदारियां समान हैं ।

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, सामान्य प्रशासन विभाग में हरियाणा सरकार ।

सहायक के पद पर पदोन्नत्ति के लिए पात्रता ।

3. कोई भी व्यक्ति सहायक के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त नहीं होगा जब तक कि वह विहित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव के अतिरिक्त इन नियमों के परिशिष्ट में दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार सहायक परीक्षा पास नहीं कर लेता;

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो 50 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो, या जिसने उसी विभाग में लिपिक या किसी अन्य पद पर चाहे पदनाम कुछ भी हो, जिससे सहायक के पद पर पदोन्नत किया जा सके, 15 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, के लिए सहायक ग्रेड परीक्षा पास करनी अनिवार्य नहीं होगी ;

परन्तु यदि सेवा में, सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षा पास किया हुआ व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति को जब तक कि वह विहित परीक्षा पास नहीं कर लेता या कोई अन्य व्यक्ति जिसने यह परीक्षा पास कर ली है, उपलब्ध नहीं हो जाता, जो भी पहले हो, को अस्थायी तौर पर पदोन्नत कर सकता है ।

परीक्षा पदोन्नति का मूल आधार नहीं होगा ।

4. सहायक ग्रेड परीक्षा केवल एक क्वालिफाईंग टैस्ट है, पदोन्नित का एक मात्र आधार नहीं होगा । सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके के दृष्टिगत, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सहायक के पद पर पदोन्नति टैस्ट

परीक्षा का संयोजन

5. (1) परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न-पत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में नोटिंग, प्रारूपीकरण, हिन्दी भाषा में प्रेसी लेखन तथा अनुवाद विषय होंगे, और दूसरा प्रश्न पत्र लेखा तथा सेवा विषय पर होगा और जहां तक हो सके 75 अंकों का प्रश्न-पत्र पंजाब सिविल सेवा नियम (जोकि हरियाणा राज्य में लागू है) तथा शेष पंजाब वित्त नियम, पंजाब बजट निर्देशिका तथा पंजाब अनुषंगी खजाना नियम (जोकि हरियाणा राज्य में लागू है) से होगा।

(2) दोनों प्रश्न-पत्रों का विस्तृत पाठ्यक्रम इन नियमों के परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(3) उम्मीदवारों को दूसरा प्रश्न-पत्र पुस्तकों की सहायता से अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में हल करने का विकल्प होगा।

परीक्षा में उत्तीर्ण।

6. कोई व्यक्ति यदि वह प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण समझा जायेगा।

परीक्षा का आयोजन।

7. परीक्षा साधारणतय वर्ष में दो बार जनवरी तथा जुलाई के महीनों में या सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित महीनों में आयोजित की जायेगी।

परीक्षा में बैठने के लिए व्यक्तियों की पात्रता।

8. ऐसे सभी व्यक्ति जो कि लिपिक या अन्य समान पद जिनका पदनाम कोई भी हो तथा जिनकी सहायक के पद पर पदोन्नति की जाती हो परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अवसरों की संख्या।

9. कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास करने के लिये कितने ही अवसर ले सकता है।

ज्येष्ठता का संरक्षण।

10. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी यदि कोई व्यक्ति लिपिक या इसके समकक्ष कोई पद चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो पर कार्यरत हो जिससे वह सहायक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है नियम 8 के अनुसार पात्र बनने के बाद उसे उपलब्ध प्रथम पांच अवसरों में परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो सहायक पद पर पदोन्नति स्थानापन्न हैसियत में होगी और उसकी सहायक संवर्ग में ज्येष्ठता पूर्व पद जहां से वह सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था, ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी।

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्त पांच अवसरों में परीक्षा में असफल रहता है या नियम 3 के अधीन उसे परीक्षा पास करने में छूट दी गई है तो सहायक के पद पर पदोन्नति पर उसे सहायक संवर्ग में ज्येष्ठता इस तिथि से दी जायेगी जिस तिथि को वह पदोन्नत किया गया है।

टिप्पणी।

परीक्षा में न बैठने की दशा में कर्मचारी अनुत्तीर्ण समझा जायेगा।

अध्यारोही प्रभाव।

11. किसी अन्य सेवा नियम जिसमें सेवा नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तें निहित हैं और इस समय लागू हैं के

छूट देने की शक्तियां ।

12. जहां सरकार की राय में ऐसा किया जाना आवश्यक व उचित हो वह लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेशों द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी या व्यक्तियों को इन नियमों के प्रवर्तन में छूट दे सकता है और ऐसी छूट भविष्य में भी लागू रहेगी ।

व्याख्या ;

13. इन नियमों के किसी भी उपबन्ध की व्याख्या पर, यदि कोई संदेह हो, तो मामला निर्णयार्थ सरकार को भेजा जायेगा ।

परिशिष्ट

सहायक ग्रेड परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम

(नियम 4)

[देखिए नियम 3 तथा 5 (2)]

प्रश्न–पत्र–I

अधिकतम अंक–100
समय : 3 घंटे

नोटिंग, प्रारूपीकरण, सारलेखन तथा अनुवाद

1.	(क) नोटिंग	..	30 अंक
	(ख) ड्राफटिंग	..	30 अंक
2.	प्रैसी लेखन	..	20 अंक
3.	हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद	..	10 अंक
4.	अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद	..	10 अंक

प्रश्न-पत्र–II

अधिकतम अंक–100
समय : 3 घंटे

लेखा तथा सेवा सम्बन्धी मामले .. 75 अंक
(पुस्तकों की सहायता से)

हरियाणा राज्य को यथा लागू (पंजाब सिविल सेवा नियम)
जिल्द–1 भाग–I

अध्याय I	प्रार्थना पत्र का विस्तार	..	पूर्ण
अध्याय II	परिभाषाएं	..	पूर्ण
अध्याय III	सेवा की अन्य शर्तें	..	पूर्ण
अध्याय IV	वेतन	..	पूर्ण
अध्याय V	वेतन नियम में बढ़ोतरी		

अध्याय VII सेवा में पदच्युति हटाना और निलम्बन .. पूर्ण

अध्याय VIII अवकाश नियम 8.91, 8.113 से
8.123 8.130 से 8.140 तक

अध्याय IX उपस्थिति समय नियम 9.1 से 9.15,
9.18 से 9.20

अध्याय XII सेवाओं का अभिलेखा।
इसमें व्यवहारिक समस्याए (I) सेवा पुस्तिकों में
प्रदर्शित प्रोफार्मा में अवकाश खाते तैयार करना
(II) वेतन नियतन (III) निलम्बन के दौरान
सरकारी कर्मचारियों को गुजारा भत्ता देय सम्मिलित किया जा सकता है।

2. पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द--II
अध्याय 1 से 9 तथा 11 से 13।

3. पंजाब सिविम सेवा नियम जिल्द--III यात्रा भत्ता नियम।

5. पंजाब वित्त नियम जिल्द--I और अध्याय--II .. 25 अंक
IV, V, VII और VIII
अध्याय X के नियम 10.13 से 10.27, अध्याय 15, 16 तथा 18।

5. पंजाब वित्त नियम जिल्द--II, परिशिष्ट 2 से 4, 14 से 16 और 19

6. पंजाब बजट निर्देशिका अध्याय 2 से 5, 7 और 12 से 14।

7. पंजाब अनुषंगी खजाना नियम अध्याय 2 के नियम 2.1 से 2.7 अध्याय III का
नियम 3.1 से 3.9 अध्याय IV के नियम 4.1 से4.55, 4.113 से 4.114
और 4.168 से 4.181 और अध्याय VI के नियम 6.2 और 6.3।

बी० एस० ओझा,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

(Authorised English Translation

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Notification

The 25th June, 1992

No. G.S.R. 36/Conts Art. 309 and 318/92.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (b) of article 318 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, regulating the promotion of clerks to the posts of Assistants, namely :--

Short title

1. These rules may be called the Haryana State Assistant Grade Examination Rules, 1992.

Definitions

2. In these Rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing authority" means the authority which has the powers to make appointment to the post of Assistant ;

(b) "Assistant" means a civil post or a post in civil Service under the State of Haryana in rank designated as Assistant and includes all such posts, higher in rank to that of the post of Clerk, as are in the same or in an identical pay scale and carry responsibilities similar to or indentical with those of the post of Assistant; by whatever designation they may be called ;

(c) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Department of General Administration ;

Eligibility for promotion to the post of Assistant.

3. No person shall be eligible for appointment by promotion to the post of Assistant, unless in addition to fulfilling the qualifications and experience prescribed for appiontment by promotion to the post of Assistant he qualifies the examination as per syllabus given in Appendix to these rules :

Provide that a person who is of the age of 50 years or more or who has 15 years of regular service in the same Department on the post of Clerk or other posts by whatever designation called from which he could be appointed to the post of Assistant shall not be required to qulify the examination :

Provided further that if no person, who has qualified the examination, is available for promotion to the post of Assistant in the Service, the appointing authority may appoint a person by promotion go the post of Assistant on provisional basis till he qualifies the examination within the prescribed limit or a person who has so qualified the examination becomes available in service whichever is earlier.

Examinations not the sole basis of promotion.

4. Assistant Grade Examination shall only be the qualifying test and not the sole basis of promotion. Promotion shall be made on the basis of seniority and service record after qualifying the test unless he is exempted, which shall be considered by the appointing authority at the time of promotion in the manner laid down by the Government from time to time.

Composition of Examination.

5. (1) The examination shall consist of two papers of one hundred marks each, the first paper shall be on the subjects of noting, drafting, precis writing in Hindi language and translation and the second haper shall be on the subject of accounts and service matters and as far as may be, questions carrying seventy-five marks shall be from the Punjab Civil Services Rules (as applicable to the State of Haryana) and the rest from the Punjab Financial Rules, Punjab Budget Manual and Punjab subsidiary Treasury Rules (as applicable to the State of Haryana).

(3) The candidates shall have the option to answer the second paper with the aid of books either in English or in Hindi language.

Qualifying Examination.

6. A person shall be considered to have qualified the examination only if he secures atleast 50% marks in each paper.

Holding of Examination.

7. The examination shall ordinarily be held twice a year in the months of January and July or in such other months as may be specified by the Government from time to time.

Person eligible to sit in Examination.

8. All persons, holiding the posts of clerks or other equivalent posts, by whatever designation called from which they could be appionted by promotion to the posts of Assistant shall be eligible to sit in the examination, after the completion of their probation period successfully.

Number of chances to qualify examination

9. A person may avail of any number of chances to qualify the examination.

Saving of seniority.

10. Notwithstanding anything contained in these rules, if a person holding the post of Clerk or any other equivalent post, whatever designation called, from which he could appointed by promotion to the post of an Assistant, qualifies the test within the first five chances available to him after becoming eligible under rule 8, he shall on his promotion in officiating capacity to the post of Assistant be assigned seniority in the cadre of Assistant in accordance with his seniority in the post from which he has been promoted to the post of Assistant :

Provided that if such a person fails to qualify the test within the aforesaid first five chances but does so later or he is exempted from qualifying the test under the proviso to rule 3 he shall, on his promotion to the post of Assistant be assigned seniority in the cadre of Assistant from the date he is promoted as such.

Note :—Failure to appear in the examination will be treated as failure to qualify the test.

Over riding effect.

11. The provisions of these rules shall have effect not withstanding anything contained in any other rules governing the appointment and other condition of service for the time being in force.

Power of exemption.

12. Where the Government is of the opinion that it is neccessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, exempt any class or category or persons from the operation of these rules and such exemption shall operate prospectively.

Interpretation.

13. If any doubt as to the interpretation of any of the provisions of these rules arises, the matter shall be referred to the Government for decision.

Appendix

SYLLABUS FOR THE ASSISTANT GRADE EXAMINATION,

[See rules 3 and 5 (2)]

PAPER I

Maximum Marks : 100 Time allowed : 3 Hours

NOTING, DRAFTING, PRECIS WRITING AND TRANSLATION.

	(b) Drafting	30 Marks
2.	Precis writing in Hindi	20 Marks
3.	Translation from Hindi to English	10 Marks
4.	Translation from English to Hindi	10 Marks

PAPER II

Maximum Marks 100 — Time allowed : 3 Hours

75 Marks

ACCOUNTS AND SERVICE MATTERS

(with the aid of books)

1. Punjab Civil Services Rules, Volume-I, Part-I

(As applicable to Haryana State)

Chapter-I	Extent of application	Full
Chapter-II	Definitions	Full
Chapter-III	General Condition of Service	Full
Chapter-IV	Pay	Full
Chapter-V	Addition to pay rules. 5.1 to 5.14, 5.55 to 5.64.	
Chapter-VII	Dismissal, Removal and Suspension	Full
Chapter-VIII	Leave, rules upto 8.91, 8.113 to 8.123, 8.130 to 8.140	
Chapter-IX	Joining time Rules 9.1 to 9.15, 9.18 to 9.20	
Chapter-XII	Records of Services. (This may includes practical problems on (i) preparation of leave accounts in the pro-forma appended to the Service Book, (ii) fixation of pay (iii) subsistance allowance admissible to a Government employee under suspension).	

II. Punjab Civil Services Rules, Volume-II.
Chapter I to IX and XI to XIII.

III. Punjab Civil Services Rules, Volume-III,
Travelling allowance rules.

IV. Punjab Financial Rules, Volume-I, — 25 Marks

Chapter II, IV, V, VII and VIII
Rules I0.13 to 10.27 of Chapter X,
Chapters XV, XVI, XVII and XVIII.

V. Punjab Financial Rules, Volume-II.
Appendices 2 to 4, 14 to 16 and 19.

VI. Punjab Badget Manual
Chapter 2 to 5, 7 and 12 to 14.

VII. Punjab Subsidiary Treasury Rules.

Rules 2.1 to 2.7 of Chapter II, Rules 3.1 to 3.9 of Chapter-III Rules 4.1 to 4.55, 4.113 to 4.114 and 4.168 to 4.181 of Chapter-IV and Rules 6.2 and 6.3 of Chapter-VI.

B. S. OJHA,